Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **दौसा में यूको बैंक के वरिष्ठ प्रबन्धक व हैड कैशियर को 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *6 अप्रैल।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की दौसा इकाई द्वारा आज मंगलवार को कार्यवाही करते हुये यूको बैंक शाखा मानपुर के वरिष्ठ प्रबन्धक रामचन्द्र मीना एवं हैड कैशियर दीपक कुमार 5 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की दौसा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मैंने यूको बैंक, मानपुर से के.सी.सी. का लोन लिया था, जिसमें यूको बैंक मैनेजर रामचन्द्र मीना ने 80 हजार का लोन पास किया था, जिसमें से मुझे 70 हजार ही दिये व शेष 10 हजार अपने पास रखते हुये लोन देने की एवज में 6 हजार रूपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की दौसा इकाई के **पुलिस निरीक्षक श्री कप्तान सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये **रामचन्द्र मीना** पुत्र श्री सूरजमल मीणा, निवासी बी–21, घाटगेट आर.ए.सी. लाईन के पास जयपुर एवं सी–92 गोवर्धनपुरी गलता गेट जयपुर **हाल वरिष्ठ प्रबन्धक, यूको बैंक, शाखा मानपुर जिला दौसा** व **दीपक कुमार खण्डेलवाल** पुत्र श्री जगदीश प्रसाद खण्डेलवाल, निवासी नगर रोड, कस्बा नदबई, जिला भरतपुर हाल **मुख्य खजानची (हैड कैशियर) यूको बैंक शाखा मानपुर जिला दौसा** को परिवादी से 1 हजार रूपये कम करते हुये 5 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।